भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4463

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं

4463. श्री सी. एन. अन्नादुरईः

श्री अ. मनिः

श्री जी. सेल्वमः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत शुरू की गई सिंचाई परियोजनाओं और अन्य योजनाओं की वर्तमान संख्या का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में इन परियोजनाओं का स्थानवार, बजटवार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तमिलनाडु में केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक सिंचाई परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिए आवंटित/जारी की गई और उपयोग की गई निधि का परियोजनावार, राज्यवार और जिलावार आंकड़े का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार पीएमकेएसवाई के अंतर्गत इन सिंचाई परियोजनाओं के चयन और निधि जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया सहित पारदर्शिता और प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए मानदण्डों और पद्धतियों की व्याख्या करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) तमिलनाडु में इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है और कृषि उत्पादकता, भू-जल पुनर्भरण तथा पेयजल आपूर्ति के संदर्भ में क्या लाभ अपेक्षित है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) घटक के अंतर्गत, तमिलनाडु में 1 वृहत सिंचाई परियोजना चल रही है, नामत: "तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों में तामिराबरनी, करूमेनियार और नांबियार नदियों को जोड़ते हुए कन्नड़ चैनल से सथानकुलम, थिसायनविलई के सूखा प्रवण क्षेत्रों तक बाढ़ वाहक नहर का निर्माण"।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी- जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-आरआरआर) घटक के अंतर्गत, तमिलनाडु में 398 जल निकाय (टैंक) शामिल हैं। इन जल निकायों से लाभान्वित जिलों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी- भूजल (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू) घटक के अंतर्गत, तमिलनाडु के 14 जिलों में 166 कुएं विनिर्मित किए गए है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- जलाशय विकास घटक (पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी) के अंतर्गत तमिलनाडु में 28 जलाशय परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गयी है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूँद अधिक फसल (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) घटक के अंतर्गत, तमिलनाडु में 9,35,176 हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म-सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। पीडीएमसी सूक्ष्म-सिंचाई, अर्थात्, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है। सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग): पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के अंतर्गत, तमिलनाडु में परियोजनाओं की अनुमानित लागत, परियोजनाओं के लिए जारी धनराशि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): कन्नड़ चैनल से बाढ़ वाहक नहर के निर्माण की परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है, क्योंकि नहर क्रॉसिंग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एनएच-7 पर एक 6-लेन पुल का विनिर्माण किया जा रहा है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसके टेल एण्ड कार्यों पर अंतरिम रोक लगाई गई है। परियोजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के सामान्य कारणों मे भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयाँ, मुआवजे के विवाद, राज्य में वित्तीय बाधाएँ और ज़मीनी स्तर पर अन्य कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ रहती हैं।

(ड़): पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। दिशानिर्देश विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं जैसे परियोजना की पहचान के लिए मानदंड और प्रक्रिया और पीएमकेएसवाई के तहत धनराशि आदि जारी करने संबंधी प्रक्रिया।

(च): जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि कन्नड़ चैनल से बाढ़ वाहक नहर के निर्माण की परियोजना के लिए प्रत्याशित समय-सीमा मार्च, 2025 है। इस योजना के कार्यान्वयन से तमिलनाडु में 23,040 हेक्टेयर कृषि भूमि, 50 गांव, 252 टैंक और 5220 कुएं लाभान्वित होंगे। जल निकायों के एसएमआई और आरआरआर कार्यों के पूरा

होने की प्रत्याशित समय-सीमा केंद्रीय सहायता की पहली रिलीज के वित्तीय वर्ष के बाद दो साल है। जो परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के अनुसार, प्रगति नहीं कर रही हैं, उनके लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार, पूरा होने की निर्धारित तिथि से समय बढ़ाने की अनुमति, राज्य द्वारा दी गई उचित व्याख्या के आधार पर दी जाएगी है।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू घटक मार्च 2023 में पूरा हो गया है। आईसीएआर - भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, उधगमंडलम, तमिलनाडु द्वारा तैयार तृतीय पक्ष की रिपोर्ट के अनुसार, बोरवेल द्वारा बनाए गए जल संसाधनों को बिना किसी विवाद के लाभार्थियों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से साझा किया जाता है। बोरवेल के कारण सुनिश्चित और समय पर पूरक सिंचाई किए जाने से फसल की पैदावार पिछली पैदावार की तुलना में डेढ़ से दो गुना तक बढ़ सकती है। बोरवेल के पानी की उपलब्धता के कारण लाभार्थी सुनिश्चित सिंचाई के साथ दूसरी फसल उगा रहे हैं।

पीएमकेएसवाई योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नीति आयोग के अंतर्गत विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) द्वारा वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई का मूल्यांकन किया गया है। पीएमकेएसवाई के अधिकांश घटकों को प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभाव और निष्पादकता के समानता मापदंडों के संदर्भ में संतोषजनक माना गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4463 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत लाभान्वित जिलों का ब्यौरा

क्र. सं.	चरण	लाभान्वित जिले	टैंकों की संख्या
1	चरण-IV	सिवागंगई, रामनाथपुरम, विरुधुनगर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, कोयंबटूर, तिरुपुर	89
2	चरण-V	डिंडीगुल	9
3	चरण-VI	वेल्लोर, रानीपेट, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलई, कल्लाकुरीची, कृष्णागिरि, तिरुवल्लूर, विलुपुरम, कुडालोर, तूथुकुडी, सिवागंगई, रामनाथपुरम, तेंकासी, मदुरैई, विरुधुनगर, थैंनी, पुडुकोट्टई, त्रिची	115
4	चरण-VII	थिरुवल्लुर, रानीपेट, कडलोर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवन्नामलाई, त्रिची क्षेत्र - पुडुकोट्टई, मदुरैई क्षेत्र सिवागंगई, विरुधुनगर	85
5	चरण-VIII	धर्मपुरी, कल्लाकुर्ची, कृष्णागिरी, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, रानीपेट, सिवागंगई, तिरुवल्लूर, तिरुवन्नामलाई	100
	कुल		**398**

*****

अनुलग्नक-II

"तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4463 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत तमिलनाडु को जारी की गई निधि

क्रम संख्या	पीएमकेएसवाई घटक	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	पिछले पांच वर्षों में जारी निधि (करोड़ रूपये में)					मौजूदा वर्ष 2024-25 में जारी निधि (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी
			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24		
1)	एआईबीपी	872.45	-	-	9.04	25.70	-	-	-
2)	एचकेकेपी-आरआरआर	287.47	16.75	1.25	17.43	27.70	49.60	5.26+21.97*	-
3)	एचकेकेपी-जीडब्ल्यू	9.13	0	3.67	5.48	5.36	-	-	-
4)	डब्ल्यूडीसी	300.73	0	0	10.75	42.84	80.54	23.14	-
5)	पीडीएमसी	-	523	400	116.00	159.50	314.96	294.00	वर्ष 2022-23 से, पीडीएमसी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अधीन है।

* मदर सेंक्शन के रूप में दिनांक 20.03.2025 को पीएफएमएस के एसएनए-स्पर्श प्रणाली के तहत तमिलनाडु सरकार को 21.971795 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई, जिससे पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों के चल रहे आरआरआर कार्यों का कार्यान्वयन हो सके।

*****